

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 29 दिसंबर, 2016

अधिसूचना

का.आ. 4222(अ).- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 202 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड(ii), तारीख 26 मई, 2016 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1902(अ), तारीख 26 मई, 2016 का संशोधन करती है, अर्थात:-

2. उक्त अधिसूचना में, अंकों, अक्षरों और शब्दों "31 दिसंबर, 2016" के स्थान पर "31 जनवरी, 2017" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

(अधिसूचना सं.124/2016, फा.सं.142/11/2016-टीपीएल)

(डॉ. टी.एस. मपवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड(ii), तारीख 26 मई, 2016 में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1902(अ), तारीख 26 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।